न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 21 / 23 दायर दिनांक 24.03.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 48

उनवान

1 श्यामलाल पुत्र मांग्या 2 फूलबाई पत्नि श्यामलाल जातियान मीना खदराया तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 किशोरीलाल 2 प्रेमप्रकाश 3 सुगन पुत्रान मांग्या 4 रामपति पत्नि किशोरीलाल 5 मनीषा पत्नि सतीश जातियान मीना नि. खदराया तह. भुसावर 6 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी —वादीगण

2 श्री राजेश पाण्डेय —प्रति.सं. 1,3,4

3 श्री छोटेलाल मीना —प्रति.सं. 2

निर्णय दिनांक 06.02.2026

वादीगण वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 103 रकवा 0.0100, 104 रकवा 0.5700, 105 रकवा 0.4900, 107 रकवा 0.6100, 110 रकवा 0.2000, 486 रकवा 0.0100, 487 रकवा 1.3700 किता 7 कुल रकवा 3.2600 हेक्टेयर वाके ग्राम खदराया तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/4 हिस्से के व शेष 3/4 हिस्से के प्रतिवादीगण काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा करते हुए काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से ही काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण को उनके निहित हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नही होने देते है। और जवरन अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 19.03.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकारी करते हुए खुले आम धमकी दी कि हम तो वादग्रस्त आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करके रहेगे, और तुम्हे आराजी का उपयोग व उपभोग भी शान्ति पूर्वक नही करने देगे। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4 की ओर से वकालतनामा श्री राजेश पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री छोटेलाल मीना एड. द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति जताई गई।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/7362 दिनांक 26.12.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2025/7362 दिनांक 26.12.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/23
जीसीएमएस नं. 2023/48

दायर दिनांक 24.03.2023

उनवान

1 श्यामलाल पुत्र मांग्या 2 फूलबाई पत्नि श्यामलाल जातियान मीना खदराया तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 किशोरीलाल 2 प्रेमप्रकाश 3 सुगन पुत्रान मांग्या 4 रामपति पत्नि किशोरीलाल 5 मनीषा पत्नि सतीश जातियान मीना नि. खदराया तह. भुसावर 6 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी	—वादीगण
2 श्री राजेश पाण्डेय	—प्रति.सं. 1,3,4
3 श्री छोटेलाल मीना	—प्रति.सं. 2

डिक्री दिनांक 06.02.2026

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2025/7362 दिनांक 26.12.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)